न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी – श्री पी आर मीना ,आर ए एस
अपील संख्या– आरटीए/325/2016

**उनवान**

1. सत्तार खां पिता श्री भुरे खा पठान उम्र वयस्क निवासी सांगानेर भीलवाड़ा

.....अपीलांट

बनाम

1. पीरू खां पठान के बजाय –
   1/1 श्रीमती मैना उर्फ हजारा पत्नी स्व. श्री पीरू खां जी पठान उम्र वयस्क निवासी खलीफा नगरी, सांगानेर, भीलवाडा
   1/2 श्री मीरबाज पुत्र स्व. श्री पीरू खां जी पठान उम्र वयस्क निवासी खलीफा नगरी, सांगानेर, भीलवाड़ा
   1/3 श्री अलताफ उर्फ पिन्टु पुत्र स्व. श्री पीरू खां जी पतान उम्र वयस्क निवासी खलीफा नगरी, सांगानेर, भीलवाड़ा
   1/4 श्रीमती मुन्नी उर्फ सलमा पुत्री स्व. श्री पीरू खां जी पठान पत्नी श्री मेहबूब खान पठान उम्र वयस्क निवासी मजिस्ट्रेट कॉलोनी के पीछे, कुवाड़ा खान रोड, भीलवाड़ा
   1/5 श्रीमती छोटी उर्फ रहमत पुत्री स्व. श्री पीरू खां जी पतान पत्नी श्री जमील खां उम्र वयस्क निवासी खलीफ़ा नगरी, सांगानेर, भीलवाड़ा
   1/6 श्रीमती काली उर्फ कनिजा पुत्री स्व. श्री पीरू खां जी पठान पत्नी श्री रसीद खां उम्र वयस्क निवासी मजिस्ट्रेट कॉलोनी के पीछे, कुवाड़ा खान रोड, भीलवाड़ा
   1/7– श्रीमती अफसाना पुत्री स्व. श्री पीरू खां जी पठान उम्र वयस्क निवासी खलीफा नगरी, सांगानेर, भीलवाड़ा
   1/8 श्रीमती भूमि उर्फ मुमताज पुत्री स्व. श्री पीरू खां जी पठान पत्नी श्री सलीम खां उम्र वयस्क निवासी मारूति नगर, भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा
3. श्रीमति सायरा पत्नी श्री जमाल खां पुत्री भूरे खां जी पठान उम्र 88 वर्ष निवासी सांगानेर हाल शेखजी का खेड़ा तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

4. श्रीमती बरकत पत्नी श्री कासम खां पुत्री भूरे खां उम्र 70 वर्ष निवासी सांगानेर हाल निवासी बाडिया, बदनोर भीलवाड़ा

प्रत्यर्थीगण

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा के प्रकरण संख्या 39/2014 निर्णय डिक्री दिनांक 20.6.2016**

**अभिभाषक :**

1. श्री शंभूदास वैष्णव,, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री मेहराज अली,अधिवक्ता प्रत्यर्थी

**आदेश**

**दिनांक 29.1.2026**

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी /वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 मुस्लिम है और मुस्लिम विधि से गर्वनर होते है और सभी भूरे खांजी पठान के वारिसान है। भूरे खां जी पठान की मृत्यु हो चुकी है।

भूरे खां पठान की खातेदारी अधिकार की आराजियात ग्राम रिछड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित है जिसके साविक आराजी नम्बर 1075, 1080, 1081, 1082, 1187 कुल किता 5 कुल रकबा 14 बीघा 09 बिस्वा जिसमें नूरे खा का 1/2 हक हिस्सा है। भूरे खां की हिस्से की आराजियात के नये नम्बर आराजी संख्या 1147, 2358, 2359, 2360 2361 कुल किता 5 कुल रकबा 7 बीघा 06 बिस्वा भूमि स्थित है जो भूरे खां जी के खातेदारी अधिकार की है। भूरे खां जी पठान के पारिवारिक सजरा निम्न है:–

भूरे खां

पीरू खां | बाबू खां (फौत) | सत्तार खां

साबनुर (फौत)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

3. भूरे खा जी के तीन पुत्र है तीनो का उपरोक्त आराजियात में बराबर–बराबर हिस्सा है और हिस्से अनुसार काबिज है।

4. वादी के एक भाई बाबू खां की मृत्यु दिनांक 25.03.2007 को हो गई है और उनकी पत्नी साबनुर जो काफी समय से बीमार चल रही थी उनकी मृत्यु भी दिनांक 18.04.2007 को हो गई है इस प्रकार बाबू खां के प्रथम श्रेणी का कोई जायन्दा वारिस नही है इसलिए उपरोक्त आराजियात में बादी का 1/2 हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 01 का 1/2 हिस्सा है जिसे वादी कानूनन प्राप्त करने का अधिकारी है और यह घोषणा कराया जाना आवश्यक है कि वादग्रस्त आराजियात में वादी का 1/2 हक हिस्सा है।

5. वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 को प्रतिवादी संख्या 02 के यहां चलकर उक्त आराजियात का बटवाड़ा कराने हेतु कहा लेकिन टालमटोल करते रहे और दिनांक 28.02.2014 को इन्कार हो गये इस कारण नौयत वाद पेश हुई है।

6. भूरे खा जी के तीन पुत्र है तीनो का उपरोक्त आराजियात में बराबर–बराबर हिस्सा है और हिस्से अनुसार काबिज है।

7. वादी के एक भाई बाबू खां की मृत्यु दिनांक 25.03.2007 को हो गई है और उनकी पत्नी साबनुर जो काफी समय से बीमार चल रही थी उनकी मृत्यु भी दिनांक 18.04.2007 को हो गई है इस प्रकार बाबू खां के प्रथम श्रेणी का कोई जायन्दा वारिस नही है इसलिए उपरोक्त आराजियात में बादी का 1/2 हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 01 का 1/2 हिस्सा है जिसे वादी कानूनन प्राप्त करने का अधिकारी है और यह घोषणा कराया जाना आवश्यक है कि वादग्रस्त आराजियात में वादी का 1/2 हक हिस्सा है।

8. वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 को प्रतिवादी संख्या 02 के यहां चलकर उक्त आराजियात का बटवाड़ा कराने हेतु कहा लेकिन टालमटोल करते रहे और दिनांक 28.02.2014 को इन्कार हो गये इस कारण नौयत वाद पेश हुई है।

9. वादग्रस्त आराजियात में वादी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा है इस अमर की प्रारम्भिक डिकी सादिर फरमा मिट्स एण्ड बाउण्डस से बटवाड़ा करा कब्जा दिलाया जाना व अन्तिम डिकी पारित किया जाना आवश्यक है।

10. प्रतिवादी संख्या 01 सम्पूर्ण आराजियात पर कब्जा करना चाहता है और प्रतिवादी संख्या 01 जानबूझकर वादी के हक व हिस्से की आराजियात में दखल करने व कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करने व विक्रय करने पर आमादा है इसलिये प्रतिवादी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

संख्या 01 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना आवश्यक है कि वादी को प्रतिवादी संख्या 01 वादग्रस्त आराजियात से बेदखल न करें, उसके कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न न करें, विकय न करें इस अमर की स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिवादी संख्या 01 को यावन्द फरमाया जाना आवश्यक है।

10. वादी को बिनाय वाद प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा कब्जा करने, बेदखल करने व विक्रय करने की धमकी देने दिनांक 28.02.2014 से उत्पन्न होकर जारी है।

11. अतः निवेदन है कि दावा बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी निम्न प्रकार डिकी पारित की जावें–

1. वादपत्र की कलम संख्या 02 में वर्णित आराजियात में वादी का 1/2 हिस्सा है यह घोषणा करायी जावें।
2. वादपत्र की कलम संख्या 02 में वर्णित आराजियात में वादी का 1ध्2 हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 02 का 1/2 हिस्सा है इस आशय की प्रारम्भिक डिकी सादिर फरमा मिटस एण्ड बाउण्डस से बटवाड़ा करा अन्तिम डिकी पारित की जावें।
3. प्रतिवादी संख्या 01 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त आराजियात में वादी का 1/2 हिस्से पर जिस पर वादी काबिज है उसे प्रतिवादी संख्या 01 बेदखल न करें, उसके कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न न करें तथा विकय न करें व किसी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करें।
4. प्रतिवादी संख्या 02 को वादग्रस्त आराजियात में न्यायालय के आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम अंकन करने का आदेश पारित किया जावे।

12. अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बाद विचारण निर्णय एवं प्रारंभिक डिकी दिनांक 20.6.2016 को पारित की गई एवं वादी के वाद पत्र को स्वीकार किया गया। जिससे व्यथित होकर यह प्रथम अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है।

13. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

14. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट पीरू खां पुत्र श्री भूरे खां पठान की मृत्यु दिनांक 23.02.2021 को हो गई है। मृतक रेस्पोडेन्ट पीरू खां की जानकारी सहवन से अपीलांट को कानून अनभिज्ञता के कारण न्यायालय को

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, शाहपुरा

सूचित नहीं किया ही अपने अधिवक्ता को बताया और रेस्पोडेन्ट ने भी जानबूझकर न्यायालय के समक्ष मृतक पीरू खां की मृत्यु की जानकारी नहीं दी।

15. आज दिनांक 28.01.2025 को न्यायालय के समक्ष पेशी होने से उपस्थित हुआ अपीलांट अधिवक्ता द्वारा पीरू खां के बारे में पूछा तब जानकारी दी कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। पीरू खां का मृत्यु दिनांक 23.2.2021 से 28.01.2025 तक कर समय डिले कन्डोन कराया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

16. मामला अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित है अपीलांट अपने जायज हको से वंचित हो जायेगा। अधीनस्थ न्यायालय ने बगैर सुनवाई का मौका दिये अपीलांट का वादपत्र खारिज किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत है।

17. अपीलार्थीगण द्वारा अपील जानबूझकर विलम्ब से प्रस्तुत नहीं की गई है। अपीलार्थीगण द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविम है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार कर दिनांक 23.02.2021 से 28.01.2025 की अवधि को क्षम्य किया जावे।

18. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अपीलान्ट वादी ने एक वाद अदालत मातहत में इस आशय का पेश किया कि अपीलान्ट वादी एवं रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी के पिता के खातेदारी अधिकार की आराजियात ग्राम रिछड़ा में स्थित है। भूरे खां जी के परिवार का सजरा निम्न है:—

भूरे खां

पीरू खां | बाबू खां (फौत) | सत्तार खां

साबनुर (फौत)

19. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि भूरे खां जी के तीन पुत्र थे पीरू खां, बाबू खां, सत्तार खां, जिसमें से बाबू खां की मृत्यु हो चुकी है इनकी पत्नी साबनुर की भी मृत्यु हो चुकी है, बाबू खां लाऔलाद फौत हुआ है इसलिए बाबू खां का हक व हिस्सा कानूनन भाई पीरू खां व सत्तार खां में निहित हो

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

जाता है इसके लिए अपीलान्ट वादी ने एक वाद घोषणा बटवाड़ा व स्थायी निषेधाज्ञा का अदालत मातहत में प्रस्तुत किया।

20. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अदालत मातहत के उक्त प्रकरण में पेशी दिनांक 05.09.2016 रिडर द्वारा नियत की गयी थी जो काफी समय से चली आ रही थी इसके पूर्व दिनांक 20.06.2016 को कैम्प कोर्ट (लोक अदालत) रिछड़ा में अदालत मातहत द्वारा वादी को बिना सुने निर्णय खिलाफ अपीलान्ट कर भारी भूल फरमायी है इस कारण निर्णय व डिकी निरस्त होने योग्य है।

21. यह कि अपीलान्ट वादी ने जो वाद अदालत मातहत में प्रस्तुत किया उसमें दौराने वाद मिरबाज पुत्र श्री पीरू खां ने एक प्रार्थनापत्र आदेश 1 नियम 10 का प्रस्तुत किया इसमें मृतक बाबू खां की पत्नी श्रीमती साबनुर द्वारा श्री मिरबाज के हक में हक व हिस्सा दिनांक 12.04.2007 को वसीयत करना बताया जिसकी जानकारी अपीलान्ट वादी को नही थी इस प्रार्थनापत्र की सुनवाई में अदालत मातहत की पत्रावली नियत थी फिर भी अदालत मातहत ने निर्णय व डिकी खिलाफ अपीलान्ट कर भारी भूल फरमायी है।

22. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि कानूनन मुस्लिम विधि के अनुसार मृतक बाबू खां की पत्नी साबनुर को कोई अधिकार जायदाद वसीयत करने का नही था फिर भी अदालत मातहत ने निर्णय व डिकी के विपरीत कर सहब फरमाया है।

23. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि मृतक बाबू खां एवं साबनुर काफी समय से बीमार चल रहे थे बाबू खां की मृत्यु के बाद साबनुर लगातार बीमार थी और हॉस्पीटल में ईलाजरत थी मृतक साबनुर को कथित वसीयतनामा दिनांकित 12.04.2007 लिखाये, जाने की जानकारी नही थी न ही वह स्वस्थ चित थी न ही उसके सोचने व समझने की स्थिति थी।

24. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि मुस्लिम विधि के अनुसार महिला को कोई हक व अधिकार वसीयत करने का नही है इसलिए इस वसीयत से कोई हक व अधिकार मीरबाज को प्राप्त नहीं होता है इसलिये निर्णय व डिकी अदालत मातहत निरस्त होने योग्य है।

25. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अदालत मातहत की पत्रावली न्यायालय द्वारा आदेश 01 नियम 10 के प्रार्थनापत्र पर कोई आदेश नही पारित गया है न ही पक्षकार ही

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाड़ा

बनाया गया है न ही अपीलान्ट वादी को इस प्रार्थनापत्र की सुनवाई का अवसर दिया गया है इसलिये निर्णय व डिकी अदालत मातहत निरस्त होने योग्य है।

26. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि मीरबाज का कोई हक व अधिकार वादग्रस्त आराजियात में नहीं है फिर भी अदालत मातहत ने मन मकसूद तरीके से बिना अपीलान्ट वादी को सुने कयासी तौर निर्णय भारी भूल फरमायी है इस कारण निर्णय व डिकी निरस्त होने योग्य है।

27. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वाद में सभी तथ्य साक्ष से निर्धारित होने है लेकिन अदालत मातहत ने बगैर साक्ष लिये निर्णय व डिकी खिलाफ अपीलान्ट कर भारी भूल फरमायी है।

28. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि कैम्प कोर्ट रिछड़ा में आपसी सहमति से होने वाले फैसले की पत्रावली का निर्णय करना था लेकिन अदालत मातहत ने बिना किसी आधार के बगैर सुनवाई किये निर्णय खिलाफ अपीलान्ट कर भारी भूल फरमायी है।

29. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलान्ट वादी को कथित वसीयतनामा दिनांकित 12.04.2007 की जानकारी वादपत्र प्रस्तुत किया तब नही थी दौराने वाद मीरबाज द्वारा आदेश 01 नियम 10 के प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने से हुई इसलिये वादपत्र में इसका वर्णन नहीं किया गया था। अतः निवेदन है कि निर्णय व डिकी अदालत मातहत निरस्त फरमाया जावे।

30. प्रत्यर्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि प्रतिवादी पक्षकार को मृतक बाबू खॉ की पत्नी ने फौत होने से पूर्व अपने हक हिस्से की रजिस्टर्ड वसीयत पीरू खॉ के पुत्र मीरबाज के पक्ष में संपादित कर दी गई थी। इसकी जानकारी पूरे परिवार को थी। उसके सारे काम काज मीरबाज द्वारा ही किये गये थे। नीचे के दावे में वसीयत को छुपाकर तथ्य पेश किये गये है। क्लीन हैंण्ड से वाद पत्र पेश नहीं किया गया है। पत्रावली की आदेशिक अनुसार दिनांक 20.6.2016 को रिछडा कोर्ट केम्प लगा । जिसकी सूचना दी गई थी। जिसकी तामील सत्तार खॉ के पुत्र को हुई है। लेकिन वह कोर्ट कैम्प में नहीं आया है। मृतक बाबू की विरासत बाबत् प्रकरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 35(2) में दर्ज होकर विचाराधीन था। दोनों जगह चलने से आदेश 10 सी पी सी द्वारा दोनों जगह नहीं चलाया जा सकता है। पारित आदेश से वादी को

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाड़ा

कोई क्षति नहीं हुई है और वादी को सुनवाई के लिए निर्देशित किया गया था। अपील 6 महीने की देरी से पेश की गई है। जिसका कोई उचित कारण नहीं बताया गया है।

31. अपीलाण्ट के योग्य अधिवक्ता ने रिबटल में निवेदन कियाकि मृतक की प्रोपर्टी में मेरा आधा हिस्सा बनता है। जिसका कोई विश्लेषण नहीं किया गया है।

32. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट पीरू खां पुत्र श्री भूरे खां पठान की मृत्यु दिनांक 23.02.2021 को हो गई है। मृतक रेस्पोडेन्ट पीरू खां की जानकारी सहवन से अपीलांट को कानून अनभिज्ञता के कारण न्यायालय को सूचित नहीं किया ही अपने अधिवक्ता को बताया और रेस्पोडेन्ट ने भी जानबूझकर न्यायालय के समक्ष मृतक पीरू खां की मृत्यु की जानकारी नहीं दी।

33. आज दिनांक 28.01.2025 को न्यायालय के समक्ष पेशी होने से उपस्थित हुआ अपीलांट अधिवक्ता द्वारा पीरू खां के बारे में पूछा तब जानकारी दी कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। पीरू खां का मृत्यु दिनांक 23.2.2021 से 28.01.2025 तक कर समय डिले कन्डोन कराया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

34. मामला अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित है अपीलांट अपने जायज हको से वंचित हो जायेगा। अधीनस्थ न्यायालय ने बगैर सुनवाई का मौका दिये अपीलांट का वादपत्र खारिज किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत है।

अपीलार्थीगण द्वारा अपील जानबूझकर विलम्ब से प्रस्तुत नहीं की गई है। अपीलार्थीगण द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविम है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार कर दिनांक 23.02.2021 से 28.01.2025 की अवधि को क्षम्य किया जावे।

36. प्रत्यर्थी की ओर से रिबटल मे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अपीलार्थी द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का जो कारण अंकित किया है उसका खण्डन होता हो। अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
अति॰ जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है।

38. पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अध्ययन, अवलोकन, किया गया । बहस का मनन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन अध्ययन व मिलान किया गया। रेकार्ड अनुसार प्रकरण में घोषणा का दावा था। प्रकरण में तामील हुई या नहीं इस बाबत आदेशिका पर कोई स्पष्ट अंकन नहीं किया गया है। पत्रावली की आदेशिका अनुसार दिनांक 18.4.2016 को आगामी तारीख दिनांक 5.1.2016 निर्धारित की हई है लेकिन उससे पूर्व ही दिनांक 20.6.2016 को कोर्ट कैम्प में रखकर बिना सहमति के ही निर्णय पारित कर दिया गया है। जो विधिक प्रकिया की स्पष्ट विधिक प्रकिया का उल्लंघन की श्रेणी का है। विधिक प्रकिया का पालन नहीं किया गया है। पारित निर्णय से सहमत नहीं है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त अनुसार पक्षकारों का सुना जाना आवश्यक है। पत्रावली पुनः अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

39. आदेश

अतः अपील अपीलार्थीगण आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रांरभिक डिकी दिनांक 20.6.2016 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण पक्षकारों को विधिवत तामील करवाई जावे और सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर जवाब का अवसर प्रदान करे व कानूनी बिन्दु/तनकियात का निर्माण कर साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर विस्तृत विवेचन कर विधिसम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 11/3/2026 को उपस्थित रहे।

40. आदेश आज दिनांक 29.1.2026 को खुले न्यायालय में सुनायागया।

(पी आर मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा